न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी– श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 62/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/161

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामसिंह पुत्र स्व0 भैरू सिंह जाति राजपूत निवासी रातरणा (रतडुन्डा) तहसील रियाबड़ी जिला नागौर राज0।		1. श्रीमति लिछमुड़ी पत्नी भीयाराम जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन। 2. नायब तहसीलदार पीलवा तहसील परबतसर।

उपस्थित:–
1. श्रीमती एलीजा पीपावत वकील अपीलान्ट की ओर से।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम</u>
<u>अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11.05.2006 नायब तहसीलदार पीह</u>

–:निर्णय:–

दिनांक : 02.12.2024

अपीलांट की ओर से पेश अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि:–

1. अपीलार्थी के खाते की राजस्व भूमि खेत खसरा नम्बर 947, 948, 949, 950, 970, 971, 972 ग्राम रघुनाथपुरा की सीमा में एक ही चक में अवस्थित है, जो अपीलार्थी की पुश्तैनी भूमि है। उक्त भूमि में आवागमन हेतु एक 12 फुट चौड़ा रास्ता, खेत खसरा नम्बर 951 से 959 की उत्तरी भाग पर पूर्व से पश्चिम चलता है। उक्त खेत की खातेदारी पूर्व में अपीलार्थी व उनके पूर्वजों की खातेदारी की थी, जिनको विक्रय के दौरान 12 फुट चौड़ा रास्ता अपने खाते की भूमि में आवागमन हेतु छोड़कर विक्रय किया गया था।
2. खेत खसरा नम्बर 951 व 961 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा जिसके पुराने खसर नम्बर 534 है कि खातेदारी अपीलार्थी की माता के नाम दर्ज थी, अपीलार्थी की माता के देहावसान के पश्चात् उक्त खेत खसरा नम्बर 534 की ... अपीलार्थी स्वयं व भाई बजरंग सिंह तथा पिता भैरू सिंह के नाम दर्ज हो गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:30:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

3. खसरा नम्बर 534 में से अपीलार्थी की माता सदा कंवर ने दिनांक 23.06.2000 को 08 बीघा भूमि का बैचाण प्रत्यार्थी लिछमुड़ी के नाम जरिये पंजीकृत विक्रय–विलेख किया। उसके पश्चात् अपीलार्थी रामसिंह व उसके भाई बजरंगसिंह ने भी प्रत्यार्थी या लिछमुड़ी को दिनांक 06.08.2004 को बीघा 16 बिस्वा जमीन का बैचाण कर दिया। उक्त बैचाण की उत्तरी भाग पर 12 फुट चौड़ा रास्ता छोड़ कर किया था। जो रास्ता पहले से ही अपीलार्थी के पूर्ववत खातेदार द्वारा उपरोक्त खेत में जाने हेतु कायम किया हुआ था, जिसके लिए प्रत्यार्थीया ने एक इकरारनामा भी दिनांक 06.08.2024 को लिछमुड़ी ने रामसिंह व बजरंग सिंह के पक्ष में निष्पादित कर दिया था।

4. अपीलार्थी के पिता भैरूसिंह ने दिनांक 30.09.2005 को प्रत्यार्थी लिछमुड़ी के हक में खसरा नम्बर 534 की भूमि 08 बीघा 15 बिस्वा में से अपने हिस्से की 1/3 भूमि में से 3/4 हिस्सा का बैचाण कर दिया था तथा शेष 15 बिस्वा भूमि अपने खेत खसरा नम्बर 347 में आने–जाने हेतु रास्ते के दिवस रखी थी, जो पंजीकृत विक्रय–विलेख में स्पष्ट नहीं होकर अस्पष्ट लिखी हुई है। जिस कारण लिछमुड़ी ने दिनांक 30.09.2005 को एक शपथ–पत्र इस आशय का निष्पादित किया। मैने 02 बीघा 03 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि की क्रय की है तथा शेष 1/4 हिस्सा अर्थात् 14 बिस्वा भूमि विक्रेता ने अपने खेत तथा उसमें आने–जाने हेतु रखी है। जो रास्ता अपीलार्थी का निजी रास्ता है।

5. खेत खसरा नम्बर 534 के नये खसरा नम्बर 951 व 954 कायम हुए, उक्त खसरा नम्बर 920, 959, 951 की उत्तरी भाग पर 12 फुट चौड़ा रास्ता अपीलार्थी के आवागमन हेतु छोड़ा गया है। जिसका विक्रय अपीलार्थी ने नहीं किया है।

6. प्रत्यार्थी ने दिनांक 30.09.2005 के विक्रय–विलेख की आड़ में राजस्व कर्मचारियों से दुर्भिसंधि कर खेत खसरा नम्बर 534 पुराने, नये खसरा नम्बर 951, 959 की सम्पूर्ण खातेदारी अपने स्वयं के नाम दर्ज करवा ली, जबकि अपीलार्थी व उसके पिता के द्वारा किये गये बैचाण में 951 से 959 की उत्तरी भाग पर चलने वाला पूर्व से पश्चिम रास्ता जो कि 12 फुट चौड़ाई के लिये 14 बिस्वा भूमि छोड़ी थी, किन्तु सम्पूर्ण खातेदारी प्रत्यार्थीया लिछमुड़ी के नाम दर्ज होने से प्रत्यार्थीया व उसके परिजन अपीलार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 947 में आने–जाने हेतु बाधाऐं उत्पन्न करते हैं जबकि अपीलार्थी को उक्त निजी मार्ग से निर्बाध आने–जाने हेतु अधिकार प्राप्त है। जिस कारण दिनांक 30.09.2005 के विक्रय–विलेख की आड़ में सम्पूर्ण खसरा की भूमि का नामान्तरकरण प्रत्यार्थीगण के नाम दर्ज हो जाने से अपीलार्थी उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:30:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

–ःअपील के आधारः–

1. नायब तहसीलदार पीलवा ने नियमों की अनदेखी कर नियम विरूद्ध जाकर नामान्तरकरण का आदेश दिनांक 11.05.2006 को पारित किया, उसे अपीलार्थी निरस्त करवाने का अधिकारी है।
2. अपीलार्थी व उसके भाई तथा पिता ने खसरा नम्बर 534 की सम्पूर्ण भूमि का विक्रय नहीं किया, अपने खेत खसरा नम्बर 947 में आने–जाने हेतु निजी मार्ग हेतु भूमि छोड़ी थी, जिसकी अनदेखी कर यह नामान्तरकरण दर्ज किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।
3. प्रत्यार्थीया ने दिनांक 06.08.2004 व 30.09.2005 को जो ईकारनामा – शपथ–पत्र निष्पादित किये थे। उनकी अनदेखी कर उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है।
4. न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 11.05.2006 को उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया, उक्त आलौच्य आदेश के विरूद्ध अपील सुनने व तय करने का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त है।
5. उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 11.05.2006 की जानकारी अपीलार्थी को प्रत्यार्थी द्वारा मार्ग अवरूद्ध किया जाने पर हुई, तब अपीलार्थी ने दिनांक 09.09.2024 को नकल नामान्तरकरण प्राप्त की तो जानकारी हुई। धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अलग से प्रस्तुत हैं।

अतः अपील अपीलार्थी पेश कर निवेदन है कि नामान्तरकरण दिनांक 11.05.2006 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज कर प्रत्यार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रत्यार्थी बावजुद तामिल के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमें प्रस्तुत जैर अपील नामान्तरकरण विक्रय पत्र दिनांक 30.09.2005 के आधार पर भरा गया है। विक्रय पत्र के पृष्ठ संख्या 02 के अनुसार खसरा नम्बर 8.34 रकबा 8.15 बीघा में से 1/3 हिस्सा विक्रेता है। उक्त 1/3 हिस्सा में से 3/4 हिस्सा अर्थात् सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा का बैचाण किया गया है। नामान्तरकरण [illegible] गया है वो सम्पूर्ण हिस्से का खोला गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:30:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलेक्टर डीडवाना–कुचामन

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 765 दिनांक 11.05.2006 को निरस्त कर प्रकरण नायब तहसीलदार पीलवा को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि विक्रय पत्र दिनांक 30.09.2005 का अवलोकन कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:30:01 IST
Reason: SelfAttested